

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

1 जनवरी, 1975

खंड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 1 जनवरी, 1975

पृष्ठ संख्या

सदन की मेज पर रखा गया राज्यपाल का अभिभाषण	(1)1
अध्यक्ष द्वारा घोशणा:—	
1. सभापतियों की तालिका	(1)10
2. याचिका समिति	(1)10
सचिव द्वारा घोशणा	(1)10
भाक प्रस्ताव	(1)11
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(1)14
सदन के मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र	(1)16
सदन के मेज पर पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र	(1)16

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 1 जनवरी, 1975

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, सैक्टर-1, चंडीगढ़ में 1 मध्याह्नोपरान्त 15.12 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker: In pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly on the 1st January, 1975, at 2.00 P.M. under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

मित्रो,

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम सत्र के लिए मैं एक बार फिर बड़े हर्ष के साथ आपका स्वागत करता हूँ।

और उस महत्वपूर्ण कार्य की, जिसे आप आरम्भ करने वाले हैं, सफलता की कामना करता हूँ।

जैसा कि आप को विदित ही है कि देश अभूतपूर्व क्रमिक वर्द्धमान मुद्रास्फीति की कठिन आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसके कारण आयोजना तथा द्रुत विकास के समस्त राष्ट्रीय प्रयास में गतिरोध पैदा हो गया है। यह विव्यापी समस्या का अंग है। हरियाणा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है किन्तु अनेक कठिनाईयों के बावजूद राज्य सरकार आर्थिक न्याय तथा सामाजिक समता के सिद्धान्तों पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु अपने प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ी है। व्यवस्था, संचार व्यवस्था, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, गृह-निर्माण तथा रोजगार और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है।

भारत प्रतिगत ग्रामीण वैद्युतीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के सम्बन्ध में आप सब लोग भली-भांति परिचित हैं। इस उपलब्धि के फलस्वरूप नलकूपों को बहुत ही तेज गति से बिजली दी जानी सम्भव हो सकी। इस समय नलकूपों की संख्या 1.33 लाख हो गई है, जबकि मई, 1968 में इनकी संख्या 29000 थी। वर्ष के दौरान राज्य ने निःसन्देह बिजली के बहुत बड़े संकट का सामना किया है जिसका मुख्य कारण 1973-74 में कम वर्षा होना और बाद में सतलुज नदी के जलग्रह क्षेत्रों में मानसून का न आना था। बिजली की इस कमी के बावजूद बिजली देने के विषय में

कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई और खरीफ, 1974 के दौरान 20 करोड़ यूनिट बिजली दी गई, जबकि खरीफ, 1973 के दौरान 19 करोड़ यूनिट बिजली दी गई थी। इस वर्ष रबी की बुवाई के लिए नलकूपों को प्राथमिकता से बिजली दिए जाने के लिए कदम उठाए गए। हमारे सामने विभिन्न कठिनाइयों के होते हुए भी इस नीति को जारी रखा जाएगा। भाखड़ा-नंगल प्रणाली द्वारा बिजली के उत्पादन में कटौती से राज्य को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है और नलकूपों को बिजली की सप्लाई जारी रखने के लिए अन्य क्षेत्रों विशेषतः औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की खपत पर प्रतिबन्ध लगाने पड़े। सरकार को राज्य में सूचे तौर पर बिजली की वर्तमान कमी का ज्ञान है किन्तु बिजली के अतिरिक्त उत्पादन को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फरीदाबाद में 60 मैगावाट का एक ताप बिजलीघर पहले ही चला दिया गया है और एक ऐसा ही बिजली घर कुछ महीने पश्चात् भुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पानीपत में प्रत्येक 110 मैगावाट के दो बिजली घरों के निर्माण को मुकमिल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी आशा की जाती है कि राज्य लगभग 1976 के दौरान ब्यास से बिजली का अपना हिस्सा प्राप्त करने लगेगा। अतः वर्तमान बिजली संकट बहुत सीमा तक 1977-78 के अन्त तक समाप्त हो जाना चाहिए।

अर्थ-व्यवस्था की संतुलित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए राज्य के भाूक और वर्षा की कमी की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इन क्षेत्रों के किसान, राज्य के अन्य भागों के लोगों की तुलना में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। उनकी दशा सुधारने के विचार से सरकार ने उठान सिंचाई स्कीम बनाई और उन्हें अत्यन्त भीघता से निश्पादित किया। जुई उठान सिंचाई स्कीम को समाप्त हुए पर्याप्त समय हो गया है, जबकि इंदिरा गांधी उठान सिंचाई और बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती उठान सिंचाई स्कीम के एक भाग पर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया जा चुका है और इस स्कीम पर 1974-75 के दौरान 1.5 करोड़ रुपए खर्च होने की आशा है। पांचवी पंच-वर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम पर 35 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। जब ये उठान सिंचाई स्कीम पूर्ण हो जाएंगी तब इन से सूखाग्रस्त क्षेत्र के कुल 13.67 लाख एकड़ रकबे और 10.84 लाख एकड़ के का त योग्य सिंचित रकबे को लाभा होगा। अन्य सिंचाई स्कीमों में आवर्धन नहर परियोजना सम्मिलित है जिसे सफलापूर्वक निश्पादित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 1968 से सिंचाई के लिए 3125 क्यूबिक अतिरिक्त जल की वृद्धि हुई है। जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में उठायसा गया एक अन्य मुख्य कदम यह है कि हरियाणा राज्य लघु सिंचाई निगम (नलकूप) द्वारा जलमार्गों को पक्का करने का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। मार्च, 1975 तक 1800 किलोमीटर की लम्बाई के 600 जलमार्गों को पक्का करने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए

सांस्थानिक स्त्रोंतो के माध्यम से निधियां प्राप्त की जा रही हैं और इसकी लागत लाभ प्राप्त करने वालों से आसान कि तों में वसूल की जाएगी। अतः सिंचाई नीति के अन्तर्गत एक ओर तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाना है और दूसरी ओर जल स्त्रोंतो का संरक्षण करना है, जिससे आ ता है कि भविश्य में मानसून पर निर्भर करना इतना आव यक नहीं होगा। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने की योजनाओं के अतिरिक्त जो कि अनिवार्य रूप से सूखे की रोकथाम के लिए दीर्घावधि उपाय है, एक आपात् सूखा राहत योजना तैयार की गई। राहत के लिए 5 करोड़ रूपए के खर्च वाली अनेक स्कीमों संस्वीकृत की गई थी। इन स्कीमों में बीजों के लिए नकद तकावी, चारे के लिए जिस के रूप में तकावी, बैल और कृशि-उपकरण, लोगों को लाभदायक रोजगार जुटाने के लिए सड़क निर्माण कार्य तथा सिंचाई विभाग के निर्माण कार्यों की स्कीमें सम्मिलित हैं।

सरकार इस तथ्य की ओर असावधान नहीं है कि हमें अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करना चाहिए, जिससे दे ा समूचे तौर पर लाभान्वित हो सके। दे ा खद्यान्नों की खरीद के लिए कीमती विदे ि मुद्रा का अपव्यय नहीं कर सकता। समय की मांग है कि कृशि उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। यह अत्यन्त सन्तोशजनक बात है कि राज्य सरकार ने अपनी स्कीमों में कृशि उत्पादन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। विभिन्न सिंचाई-स्कीमें, जिनका अभी-अभी उल्लेख किया गया है, अधिक

कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए निश्पादित की जा रही है। अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों को लोकप्रिय बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की प्रति हैक्टेयर औसत उपज 1968-69 की 893 किलोग्राम से बढ़कर 1973-74 में 1539 किलोग्राम हो गई है। 71 प्रतिशत की इस वृद्धि से यह पता चलता है कि हरियाणा के किसान प्रगतिशील हैं और वे हर प्रकार से नए उत्पादन तकनीक अपना रहे हैं। गन्ना, कपास और तिलहन जैसी नकदी फसलों के उत्पादन की ओर भी राज्य सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। जिला हिसार में लम्बे रेगे वाली कपास के विकास का विशेष उल्लेख परमावश्यक है। हरियाणा कृषि विविद्यालय और अन्य अनुसन्धान संस्थाओं की सहायता से विभिन्न उन्नत किस्मों के मूल बीजों की व्यवस्था हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा की जा रही है। निगम मूल बीजों के उत्पादन में राज्य की आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने फार्म की स्थापना भी करेगा। आगामी वर्ष के दौरान पन्द्रह-पन्द्रह हजार किंवाटल की क्षमता वाले दो बड़े बीज विधायन संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव भी है। हरियाणा कृषि विविद्यालय ग्रामीण जनता को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए पथप्रदर्शन का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस वर्ष के दौरान जिला कुरुक्षेत्र में, कौल के स्थान पर विविद्यालय के दूसरे कैम्पस ने कार्य करना शुरू कर दिया है, जहां कृषि अनुसन्धान कालेज की स्थापना की गई है। वहां चावल और भाक फसलों संबंधी अनुसंधान कार्य चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा उन छोटे किसानों, सीमान्त

किसानों एवं कृषि श्रमिकों की ओर निरन्तर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जोकि ग्रामीण समुदाय के कमजोर तथा अत्यन्त उपेक्षित अंग है। अम्बाला, भिवानी, और गुड़गावां जिलों में स्थापित की गई परियोजनाएं गत कुछ वर्षों से प्रसिद्ध प्रगति कर रही हैं और समुदाय के इस वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में ये पर्याप्त रूप से सहायक होगी। हरियाणा कृषि उद्योग निगम ने किसानों के लिए सेवा सुविधाएं जुटाने का अच्छा कार्य किया है। इसने जींद के स्थान पर लगभग एक करोड़ रुपये की कुल लागत से बनाए गए आधुनिक पट्टा संयंत्र से संतुलित पट्टा उत्पादन शुरू कर दिया है। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम ने भूमि सुधार का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है और इसने चालू वर्ष के दौरान पहले ही 700 एकड़ क्षेत्र का सुधार कर लिया है।

राज्य के निर्माण के समय ग्रामीण पेयजल-सप्लाई सुविधाएं पूर्णतया अपर्याप्त थीं। पेयजल अस्वच्छ एवं आदिकालीन ढंग से प्राप्त किया जाता था। अतः राज्य के सभी गांवों को पेयजल सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई। भाहरी और ग्रामीण लोगों को पेयजल सप्लाई और मल व्यवस्था संबंधी सुविधाएं जुटाने के लिए पत्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केवल 7 करोड़ रुपये के व्यय के मुकाबले में चौथी पंचवर्षीय अवधि के दौरान 10.39 करोड़ रुपये की राशि अब से पहले खर्च की जा चुकी है। राज्य के 61

नगरों तथा 713 गांवों में पेयजल सुविधाएं और 24 नगरों में मल व्यवस्था की कतिपय सुविधाएं सुनिश्चित करना सम्भव हो सका है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1400 अन्य गांवों में भी इस प्रकार की सुविधाएं जुटाने का प्रस्ताव है और चालू वर्ष के दौरान राज्य के लगभग 60 अतिरिक्त गांवों में जल सप्लाई सुविधाएं प्रदान करने की सम्भावना है। राज्य सरकार यह आशा करती है कि राज्य के सभी गांवों में लोगों की इस मूलभूत आवश्यकता को भीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा।

कल्याणकारी राज्य लोगों के भारीरिक स्वास्थ्य की अवहेलना नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में भी प्रगतिशील उपलब्धि हुई है। वर्तमान अस्पतालों में विभिन्न रोगों के निदान की सुविधा तथा उनके उपचार के लिए आधुनिक, सरल एवं परिष्कृत उपस्करों की व्यवस्था की गई है नारयणगढ़ के पिछड़े क्षेत्र में एक विस्तृत अस्पताल काम्प्लैक्स पूरा किया गया है। भिवानी के पिछड़े क्षेत्र में 500 बिस्तर वाला एक आधुनिक अस्पताल बन रहा है। गुड़गांव, कुरुक्षेत्र तथा जीन्द में जिला सिविल अस्पतालों के भवन निर्माणाधीन हैं और इस वर्ष के दौरान इनके मुकम्मिल किए जाने की सम्भावना है। विभिन्न अन्य अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणाधीन हैं और यह आशा है कि कम से कम प्रत्येक तहसील नगर में भीघ्र ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कर दी जाएंगी। राज्य सरकार मैडिकल कालेज, रोहतक की ओर निरन्तर विशेष ध्यान दे रही है और गुर्दे, क्षय और अन्य

रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए 225 बिस्तर वाले एक नए वार्ड के निर्माण के परिणामस्वरूप अस्पताल में बिस्तारों की संख्या 1056 तक बढ़ा दी गई है। कैंसर संस्थान का भवन भी निर्माणाधीन है और वर्ष 1975 की प्रथम तिमाही में इसके मुकम्मिल हो जाने की सम्भावना है। परिवार नियोजन में बहुत प्रगति हुई है और व्यापक अभियानों के परिणामस्वरूप राज्य ने अब परिवार नियोजन के क्षेत्र में देश के प्रथम तीन राज्यों में अपना स्थान बना लिया है।

शिक्षा के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को हरियाणा के सभी कालेजों के लिए संबन्धन विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया जाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। स्कूल अध्यापकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम को भुरु करके शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर अधिक बल दिया गया है। इस कार्यक्रम को भुरु करके शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर अधिक बल दिया गया है। इस कार्यक्रम के पांच वर्षों में पूरा होने की संभावना है। समाज के निर्धन वर्गों के 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों तथा देहाती क्षेत्रों की महिलाओं के लिये विशेष रूप से बनाए गए वयस्क शिक्षा कार्यक्रम तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा में सभी कालेजों के विद्यार्थियों के लिये हिन्दी को एक अनिवार्य विषय घोषित कर दिया गया है। सरकार प्रस्ताव कर रही है कि आगामी वर्ष से नौकरी पेशा व्यक्तियों के लाभ के लिये राज्य में

सांध्यकालीन कालेजों में और अधिक व्यवसायिक पठ्क्रमों को प्रारम्भ कर दिया जाये।

समाज के ऐसे दलित वर्गों की आवास संबंधी आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिन्हें इस समय बहुत ही अस्वस्थ परिस्थितियों में रहा पड़ता है और जो मौसम की कठोरता का शिकार भी बने हुए हैं। राज्य आवास बोर्ड ने, जिसे मुख्यतया अर्थिक रूप से निम्न वर्गों की गृह निर्माण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनाया गया था, इमारती सामान और धन संबंधी कठिन बाधाओं के होते हुए भी पूरे उत्साह के साथ अपना निर्माण कार्य जारी रखा। वर्ष 1973-74 के दौरान 500 मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया गया और चालू वित्त वर्ष में 1500 मकानों के निर्माण की संभावना है। आगामी वर्ष के दौरान 3000 और मकानों के निर्माण की संभावना है। यह बोर्ड सस्ते मकानों के निर्माण की योजना पर भी विचार कर रहा है, जिन का मूल्य लगभग 5000 रुपये होगा पर जिस में विभागीय खर्च तथा भूमि का मूल्य शामिल नहीं होगा..... राज्य में सहकारी गृह निर्माण को बढ़ावा देने के लिये एक शिखर सहकारी गृह निर्माण वित्त समिति का गठन किया है और चालू वर्ष में पांच लाख रुपये की हिस्सा पूंजी का उपबंध किया गया है।

राज्य सरकार राज्य में बेरोजगारी समाप्त करने के लिये उत्सुक है। शिक्षित बेरोजगारों के लिये रोजगार खोजना एक प्रमुख समस्या है। जनवरी, 1974 से जून, 1974 तक पंजीकृत कुल

उम्मीदवारों में 11 प्रति 100 को रोजगार दिया गया, जो उस समय के आखिल भारतीय 8.4 प्रति 100 आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक है। चालू वर्ष के दौरान 4 ग्रामीण जन भाक्ति यूनिट खोले गए हैं और भारीरूप से अपंग व्यक्तियों को, जिनमें अंशतः भूतपूर्व सैनिक सम्मिलित हैं, विशेष रोजगार सहायता प्रदान करने के विचार से चण्डीगढ़ में पंचकूला के स्थान पर एक विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किया गया है। राज्य शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के स्वतः रोजगार की विभिन्न स्कीमों को भी प्रोत्साहन अधिक लोगों को रबी की फसल तक निर्वाह करने के लिये रोजगार मिलने की आशा है।

आर्थिक रूप से पिछड़े सामाजिक रूप से अव्यवस्थित तथा भारीरूप से अंशतः व्यक्तियों के कल्याण की ओर उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है। पानीपत तथा सोनीपत दोनों स्थानों पर अंधों की संस्थाओं में लगभग 100 व्यक्तियों को शिक्षा दी गई है। आगामी वर्ष इन सेवाओं को विस्तृत करने का प्रस्ताव है। भारीरूप से अपंग व्यक्तियों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसके अंतर्गत वे विभिन्न फ़ैक्ट्रियों में प्रवेश प्राप्त करेंगे और प्रशिक्षण अवधि के दौरान 75 रुपये मासिक वजीफा प्राप्त करेंगे। उपेक्षित व कदाचारी बच्चों की देखभाल रक्षा, भरण पोषण तथा पुनर्वास के लिये शिक्षा अधिनियम, 1974 के अधीन शिक्षा कल्याण बोर्डों की भी स्थापना की जा रही है। हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1974 के लागू हो जाने के

परिणामस्वरूप भिखारियों के लिये पानीपत मे एक प्रमाणित संस्था की स्थापना की गई है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त जातियों के उत्थान की ओर पूरा ध्यान दिया है इन श्रेणियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों पर अगले वर्ष के दौरान 159 लाख रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है। सरकार के प्रयत्नों की संपूर्ति के निमित्त हरियाणा हरिजन कल्याण निगम भी इन लोगों के कल्याण की देखभाल कर रहा। निगम ने विभिन्न व्यापार एवं व्यवसायों को चलाने के लिए अब तक 46.16 लाख रूपये के कर्जे वितरित किये हैं। निगम ने करनाल मे जूता बनाने का केन्द्र भी स्थापित कर लिया है और अधिक रोजगार देने के लिये राज्य के अन्य भागों मे लघु उद्योग यूनिटें स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। सरकारी नौकरियों के क्षेत्र मे भी अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण की स्कीम पर भी लगातार अमल होता है तथा सरकारी सेवा मे अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के अनुपात को उभारने के लिये हर संभव प्रयत्न किया गया है।

चालू वर्ष मे कृषि क्षेत्र की आव यकताओं के कारण राज्य को अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों को गौण स्थान देना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप उपलब्ध बिजली स्रोत के अंतर्गत रहते हुए सरकार को बिजली की भारी कटौती करनी पड़ी जिस से राज के औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। फिर भी औद्योगिक यूनिटों को जैनेरेटिंग सैट खरीदने के लिये उदार ऋण

दिए गए ताकि वे अपने विद्युत उत्पादन से बिजली सप्लाई को बढ़ा सकें। राज्य में चालू होने वाले नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। रिवाड़ी, भिवानी, जींद, हांसी और टोहाना जैसे उत्पादन केन्द्रों में औद्योगिक संभाव्यता के सर्वेक्षण को भुरु करके पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिक वृद्धि की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन विकास केन्द्रों में उद्यमकर्ताओं के अभिज्ञान और उनके लिये बैंक योग्य स्कीमों तैयार करना जारी है तथा आशा की जाती है कि पिछड़े क्षेत्रों में इसका प्रोत्साहक प्रभाव पड़ेगा। इन स्कीमों के अंतर्गत, चुने हुए उद्यमकर्ताओं को समस्त संबंधित संस्थाओं द्वारा पैकेज सहायता भी दी जाएगी। राज्य औद्योगिक विकास निगम ने सरकारी एवं संयुक्त सेक्टर के पहले यूनिट अर्थात् हरियाण ब्रुवरीज ने पहले से ही उत्पादन चालू कर दिया है तथा दो संयुक्त सेक्टर परियोजनाएं हिसान में हरियाणा पलिस्टील्ज लिमिटेड तथा फरीदाबाद में हरियाणा टेलीवीजन प्रायः मुकम्मिल हो चुके हैं और यह 1975 के आरम्भ में उत्पादन करना प्रारम्भ कर देंगी। कुण्ड में स्लेट परियोजना तथा नारनौल में संगमरमर परियोजना को विस्तृत तथा आधुनिक बनाने के लिये हरियाणा मिनरल्ज लिमिटेड अच्छा कार्य कर रही हैं और इसके परिचय जर्मनी को स्लेट निर्यात करने के कार्य में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसने चूना उत्पादन परियोजना प्रारम्भ की है। चूना, सीमेंट का प्रगतिस्थापी हो सकता है, जबकि देश में सीमेंट की अत्याधिक कमी हो रही है।

यह अत्याधिक महसूस किया जा रहा है कि हरियाणा जैसे छोट से सुगठित राज्य में, जो कि पशुधन के लिये सदैव प्रसिद्ध रहा है, डेरी उद्योग को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में विकसित किया जा सकता है। वास्तव में राज्य में भवेत् क्रांति लाले का उद्देश्य ग्राम्य निर्धनता को समाप्त करना है 1970 में हरियाणा में स्थापित किया गया डेरी विकास निगम अत्युत्तम कार्य कर रहा है। जींद, भिवानी और अम्बाला में तीन दुग्ध संयंत्रों ने पहले ही कार्य प्रारम्भ कर दिया है और 1975-76 के अंत तक रोहतक, फरीदाबाद तथा हिसार में तीन और संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। सिरसा तथा पानीपत में भी दो और दुग्ध संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्ताव है। इन सभी दुग्ध संयंत्रों के सफलतापूर्वक मुकम्मिल हो जाने पर, राज्य के सारे महत्वपूर्ण दुग्ध क्षेत्र इस स्कीम के अंतर्गत आ जायेंगे और राज्य में फालतू दूध से अधिकतम लाभ उठाने के लिये एक दुग्ध ग्रिड बनाया जायेगा। हरियाणा परम्परा से पशुधन में समृद्ध है और राज्य के पशुधन के स्तर को स्थाई एवं उन्नत बनाने के उद्देश्य से करनाल, गुड़गांव, जींद कुरुक्षेत्र, भिवानी और अम्बाला में व्यापक पशु विकास परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। सरकारी पशुधन फार्म हिसार में आस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से एक सर्वतोमुखी पशु विकास कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।

राज्य में सहकारी आन्दोलन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया और लोगों को उर्वरक वितरण, कृषि उपज विपणन, उपभोक्त

भण्डार इत्यादि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर सेवा प्रदान की जाती रही हैं राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन संघ के पट्टा चारा संयंत्र, बेकरी, राइस भोलर, कपास ओटाई तथा विधायन यूनिट कीटमार निर्माण यूनिट आदि जैसी कृषि, औद्योगिक परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं। पानीपत और रोहतक की वर्तमान चीनी मिलों के अतिरिक्त करनाल और सोनीपत में दो और सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दो और सहकारी चीनी मिलें प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है।

मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के महत्व को किसी प्रकार कम नहीं आंका जा सकता। सड़कों केवल बीजों उर्वरकों और कीटमार जैसे अनिवार्य वस्तुओं के द्रुत परिवहन के लिये ही आवश्यक नहीं है, अपितु कृषि उपज के विपणन के लिये भी आवश्यक है। द्रव्य साधनों की कमी के कारण यद्यपि गांवों को सड़कों के साथ जोड़ने का उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है तथापि इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। पुलों और पुलियों के निर्माण के साथ साथ सड़कों के संधारण की ओर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 50 लाख रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। इस प्रकार 1500 और इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव पक्की योजक सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। सड़कों के निर्माण के अतिरिक्त,

हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा जो कि राज्य का पूर्णरूपेण राष्ट्रीयकृत उपक्रम है, संचार साधनों का और अधिक विस्तार ता सुधार किया गया। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों की संख्या मार्च, 1974 में 1571 थी, जो नवम्बर 1974 तक बढ़कर 1640 हो गई और इस संख्या के चालू वर्ष के अन्त तक 1850 तक बढ़ जाने की सम्भावना है आगामी वर्ष में 200 अतिरिक्त बसों की संख्या बढ़ा दी जायेगी। चालू वर्ष के दौरान कैथल में एक और डिपो बनाया गया और यातायात के सभी मुख्य स्थानों पर पूर्ण साधनयुक्त बस अड्डे बनाने का प्रस्ताव है।

मूलभूत आवश्यकताओं तथा सुविधाओं के संबंध में समाज के कमजोर वर्गों की अपेक्षाओं और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सुधार लाने के साथ साथ पर्यटन संबंधी कार्यों का विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाल बिछाकर, राज्य सरकार की प्रगति का विशालबिम्ब उभारने में सफल हुई है। राज्य में आने वाले पर्यटकों राज्य सरकार के गतिशील और दूरदर्शी दृष्टिकोण की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए गए हैं कि सरकार ने ऐसी पर्यटक सुविधाएं जुटाई हैं जिनमें सरकारी सैक्टर के अंतर्गत मोटलों और रेस्तराओं का दक्षतापूर्वक एवं लाभदायक रूप से चलाना ही शामिल नहीं है, बल्कि खरीद सुविधाएं, पेट्रोल पम्प, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र और विविध स्थल भी शामिल हैं। पर्यटकों कांप्लैक्सों को पूरा किया जा चुका है जिनमें एक धारूहेड़ा के स्थान पर दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर है और दूसरा होडल के स्थान

पर दिल्ली आगरा राजमा पर है। बड़खल झील, चक्रवर्ती झील, सोहना, पिपली, समालखा, पिंजौर आदि वर्तमान पर्यटक काम्पलैक्सों में सुविधाओं का और विकास किया गया है तीव्र गति से विकास कर रहे राज्य के रूप में हरियाणा का चित्र प्रस्तुत करने के लिये सभी पर्यटन काम्पलैक्सों में छोटे इम्पोरियम स्थापित करने का प्रस्ताव है।। जिलों में मुख्य यूनिटों के निकट लोक प्रदर्शन माला स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे हरियाणा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्परा को दर्शाया जा सके।

संदर्भाधीन अवधि के दौरान राज में खेलों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया। चालू वर्ष के दौरान 18 प्रशिक्षण विवरों का आयोजन किया गया, जिन में 297 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। सोनीपत जिले के राई गांव में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना करके राज के बालकों को अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण सामंजस्य पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे अन्य राज्यों के बालकों का अच्छे ढंग से मुकाबला कर सकें। इस स्कूल में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा दी जायेगी। इस स्कूल का खर्च रियायती होगा, ताकि समाज में कमजोर तथा गरीब वर्गों के बच्चों को स्कूल से लाभ पहुंचाने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो सके। भूतपूर्व सैनिकों और सशस्त्र सेना के कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिये विशेष आरक्षण किये जाते हैं। इस वर्ष मोतीलाल नेहरू स्कूल की पोशक संस्था के रूप में कमला

नेहरू स्कूल के नाम से इसका एक अवर विंग भी स्थापित किया गया है। ये दोनों स्कूल आवास संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में शिक्षा तथा खेलों की सर्वोत्तम व्यवस्था की जाती है, ताकि इनकी गणना देश की सर्वोत्तम संस्थाओं में हो सके।

वर्ष 1974 के दौरान सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है। खाद्यान्न तसकरी, अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी तथा चोर बाजारी की बुराईयों को कठोर उपायों और छिपाए गए भण्डानों को बाहर निकलने के लिये राज्य द्वारा चलाए गए अभियानों द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से रोका गया। आपातकालीन स्थिति में जनता को बिजली की सप्लाई परिवहन तथा अन्य सुविधाओं जैसी अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने के विचार से तकनीकी कर्मचारियों की एक साइबल पुलिस बटालियन भी स्थापित की गई है।

उपर्युक्त सामाजिक आर्थिक उपायों द्वारा राज्य ने लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के अपने उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न किया है। हमारे समक्ष बहुत बड़ा कार्य रहा है, और जबकि थोड़ी अवधि में हुई उपलब्धि को सराहनीय समझा जा सकता है। परन्तु अभी निष्पादित किये जाने वाले कार्यों का परिमाण एक महान चुनौती है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान महत्वपूर्ण उत्पादन दर की प्राप्ति के बाद, हम विभिन्ना वितीय प्रतिबंधों सहित पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर चुके हैं। वर्ष 1974-75 में हम 100 करोड़ से अधिक की आयोजना की

आ जा कर रहे थे। किन्तु आयोजना आयोग ने हम पर यह प्रतिबंध लगा दिया कि हम लगभग 82 करोड़ रूपये के परिव्यय का आयोजन करें। ऐसा संकेत है कि अगले वर्ष में भी हमारी आयोजना पर इसी प्रकार का प्रतिबंध रहेगा। अतः हमें अपनी प्रगति की गति को भी सम्भवतः धीमा करना पड़ेगा। हमारे मार्ग में आने वाली ये आर्थिक व कठिनाईयों ऐसे समय दूर्भाग्यपूर्ण है, जबकि हम तेजी से प्रगति के मार्ग पर अग्रेसर हो रहे थे। तथापि हमारे सीमित स्त्रोतों को सिंचाई तथा बिजली जैसे उन क्षेत्रों के प्रयोग में लाया जा रहा है, जिन्हें परमाग्रता दी जानी चाहिए। तथ्य इस बात से भी सपष्ट है कि चालू वर्ष की योजना में केवल सिंचाई तथा बिजली स्कीमों संबंधी आवश्यकताओं के लिये 66.56 प्रतिशत खर्च निर्धारित किया गया है। तथापि मुझे आशा है कि वर्तमान कठिनाईयां अल्पकालिन होगी और हम भीघ्र ही इन कठिनाईयों को पार करने में सफल हो जायेंगे। हमारा उत्पादन दर देश में अधिकतम माना गया है और हमें भविश्य में भी इसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

अब आप लोग महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हो जायेंगे, जिसमें सरकार के आगामी वर्ष में बजट प्रस्ताव शामिल है और मुझे विश्वास है कि आप विभिन्न विशयों पर उपयोगी एवं रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे। मैं आपके कार्य में सम्पन्न होने की कामना करता हूं और चाहता हूं कि नव वर्ष आपके लिये सुखद एवं मंगलमय होवे।

जय हिन्द ।

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

(i) सभापतियों की तालिका

Mr. Speaker: Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairmen:-

1. Rao Nihal Sing.
2. Rao Dalip Singh
3. Chaudhri Ishwar Singh
4. Chaudhri Manphul Singh

(i) याचिका समिति

Mr. Speaker: Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Vidhan Sabha, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions:-

1. Smt. Lehwati Jain (Deputy Speaker) Ex-officio Chairman.
2. Rao Dalip Singh
3. Sh. Gulab Singh Jain.
4. Chaudhri Phool Chand (Rohat); and

5. Chaudhiri Phool Chand (Mullana).

सचिव द्वारा घोशणा

Secretary: Sir, I have to inform the House that the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, 1974, which was reconsidered and passed by the Haryana Legislative Assembly on the 18th January, 1974, has been assented to by the President.

Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its last (November-December) Session, 1974 and have since been assented by the Governor.

Statement

1. The Haryana contingency Fund (Amendment) Bill, 1974.
2. The Punjab Homoeopathic practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1974.
3. The Punjab town Improvement (Haryana Second Amendment) Bill, 1974.
4. The Haryana Land Holdings Tax (Second Amendment) Bill, 1974.
5. The Haryana mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Bill, 1974.
6. The Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1974.
7. The Haryana Essential Services Maintenance Bill, 1974.

8. The Haryana State legislature (Prevention of Disqualificaiton) Bill, 1974
9. The Punjab Gram Panchayat (Haryana Third Amendment) Bill, 1974.
10. The Punjab New mandi Townships (Development and Regulations) Haryana Amendment Bill, 1974.
11. The Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1974.
12. The Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1974.
13. The Punjab Panchayat Samitis (Haryana Validation) Bill, 1974.
14. The Punjab Co-operative Societies (Haryana Second Amendment) Bill, 1974.

भाक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, हमारे सरन के पिदले सै ान से लेकन अब तक हमारे दो साथी हम से बिछुड़ गये है, उनके लिये मै। कंडोलेंस रैजोल्यू ान पे ा करता हूँ।

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Shri Hira Lal Shastri, first Chief Minister of Rajasthan on December 28, 1974.

Born on November 24, 1899 at jobner in Jaipur District. Shri Shastri was educated at Jobner and Jaipur. He

took over as General Secretary of the Jaipur Rajya Praja Mandal in 1936. He became General Secretary of the Rajputana Regional Council of the All India States Peoples' Conference in 1945-46 and was later appointed as General Secretary of the All India State People's Conference.

He was elected to the Constituent Assembly in 1947 and remained a Member of the Provisional Parliament till 1950. In 1948, he became the first popular Chief Minister of Jaipur State and subsequently Chief Minister of Rajasthan in 1949.

He founded the Banasthali Vidyapeeth in 1935, which has now become a national institute of girls' education.

In his death, the country has lost a great patriot. The House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the death of Sarodaya leader, Shri Shankarrao Deo, on December 30, 1974.

Born on January 4, 1894 at Bhor in Poona District he plunged into the freedom movement as a volunteer in the famous Champaran Satyagrah against the white tea planters.

He was President of the Maharashtra Pradesh Congress Committee and member of the Congress Working Committee for several years. He was General Secretary of the Congress for sometime and member of the Constituent Assembly he joined the Sarvodaya Movement in 1950.

His books on religion, Bhoodan and the Sarvodaya movement have been translated into many languages.

In his death, the country has lost a great social worker. The House resolves to send its heart felt condolences to the members of the bereaved family.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):
अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता के बोलने के पचात् मैं बोलने की कोई आवश्यकता नहीं समझता था, परन्तु पिछले अधिवेशन के पचात् हम थोड़े ही समय के बाद यहां एकत्रित हुए हैं, इसके बावजूद भी इस अल्प काल में ही हमारे देश के दो महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे से जुदा हो गये। उनमें से एक के साथ मेरा व्यक्तिगत और बड़ा लम्बा सम्पर्क रहा है। वे हैं श्री हीरा लाल भास्त्री, जो आल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कान्फ्रेंस के जनरल सैक्रेटरी भी रहे। अध्यक्ष महोदय, मैंने भास्त्री जी को बड़े निकट से देखा। वे बड़े बहादुर थे, बड़े निर्भक और बड़े स्पष्ट वक्ता थे। यही कारण था कि रियासती प्रजा में बड़े लोकप्रिय थे। यदि उस समय की रियासती प्रजा का मैं उन्हें लोक नायक कहूं तो कोई अति योक्ति नहीं होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं काल अपनी गति से और अपने हिसाब से चलता है। वह किसी को माफ नहीं करता। चाहे कोई कितना बड़ा राजनेता हो, कितना बड़ा देश भक्त हो, कितना वीर सेनानी हो या कितना बड़ा इंजीनियर हो, काल की गति और काल की सीमा में सब को बंधना पड़ता है। चाहे कोई कितना बड़ा राजनेता हो, कितना बड़ा

दे आभक्त हो, कितना बीर सेनानी हो या कितना बड़ा इंजीनियर हो, काल की गति और काल की सीमा में सब को बंधना पड़ता है। भास्त्री जी ने उस जमाने में जबकि रियासती प्रजा दोहरी गुलामी यानी चक्की के दो पाटों में पिसती जा रही थी, उस समय उन्होंने रियासती प्रजा की स्वाधीनता का एक नारा बुलन्द किया। वह नारा उन्होंने न केवल राजस्थान में, बल्कि तमाम हिन्दुस्तान में बुलन्द किया। मुझे भी जींद स्टेट प्रजा मण्डल का अध्यक्ष तथा सैक्रेटरी होने के नाते कई बार उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रजा मंडल का जब भी कोई अधिवेशन होता था, तो उनसे मुलाकात होती थीं इसके अलावा हमारे सामने जब भी कोई बड़ी भारी बाधा या भारी संकट आता था, तो मैं उनके पास जाता था और उनसे एक नई रीति, एक नई पेरणा और एक नया साहस लेकर आता था। अध्यक्ष महोदय, जिन मेरे साथियों को देसी रजवाड़ों में स्वाधीनता प्राप्ति का काम करने का अनुभव प्राप्त है, वे जानते हैं कि किस प्रकार के संकट और किस प्रकार की आधाओं का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश इलाकों में भी आंदोलन करने वाले होते थे, उनके ऊपर इतनी ज्यादाती और अत्याचार किये जाते थे जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। भास्त्री जी अन्तिम समय तक रजवाड़ा भाषी के खिलाफ लड़ते रहे। इस संघर्ष के बाद एक दिन ऐसा आया जिस दिन हमारा दे आ स्वतंत्र हुआ। दे आ की स्वतंत्रता के साथ साथ सरदार पटेल की कोशिशों से हिन्दुस्तान की तमाम रियासतें आजाद हुईं तो उस समय हीरा लाल जी भास्त्री, राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्री

बनाए गए और उसके पचात् जब उन्होंने राजनीति से सन्यास लिया, तो वे रचनात्मक कार्यों में लग गये। इन्होंने 1935 में बनास्थली कन्या विद्यापीठ की स्थापना की, जोकि हिन्दुस्तान की कन्याओं की शिक्षा के लिये एक उत्कृष्ट संस्था है। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गवास हो जाने के बार मुझे आता है कि श्रीमती रत्ना भास्त्री उसका संचालन उसी ढंग से करती रहेंगी। इन भाव्यों के साथ मैं श्री हीरा लाल भास्त्री जी के निधन पर अपनी श्रद्धा के फूल समर्पित करता हूँ।

श्री भांकर राव देव जी के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी): स्पीकर साहब, ये दो महापुरुष इस संसार से चले गये। भास्त्री जी के साथ मुझे करीब से, पर्सनल तौर से काम करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन तीन माह तक देहली में एक ही फ्लैट में रहने का मौका मिला। मैं लोक सभा का मँबर था और वह पहल लोक सभा के मँबर थे। मैंने देखा कि उस जमाने की जो डैडीकेटिड पुलीटिकल क्लास थी, उस में और जो बाद में नान कमिटल किस्म की लीडरशिप डिवैप्ल हुई, उस में बहुत डिफ्रेंस था। उनके रहन साहन में बहुत फर्क था। उनके पास मैंने देखा पचास साठ आदमी आते और वे नीचे कालीन बिछा कर फर्श पर सो जाते और साथ ही बैठकर उनके साथ रोटी खा लेते थे। उनको कभी ख्याल नहीं होता था कि कुछ दिन पहले वह चीफ मिनिस्टर होते थे। सब से अगर

उनका मुकाबला करे, स्टेटसमैन के लिहाज से या अन्दरूनी स्ट्रैंथ के लिहाज से, तो वह बहुत बड़े थे और उनका रहन सहन डिफ्रैंट था। वह बहुत बातें कहते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात वह यह कहा करते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा कि वे आदमी जिन्होंने आम आदमियों से ताकत हासिल नहीं की है, वह तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन मैं माइल्ड लैंग्वेज में कहता हूँ कि वह बेड़ा गर्क कर देंगे। मैं इनको इज्जत के साथ श्रद्धांजलि देना करता हूँ।

दूसरे जो चले गये हैं, वह हैं एक महाराष्ट्रीयन श्री भांकर राव देव चीन से मार्च करने का जब इन्होंने एलान किया तो उसके बाद तमाम दूनियां के जर्नलिस्ट्स ने कोटि-कोटि की कि वह दूसरे रास्ते से जाये चीन गवर्नमेंट ने उन को इत्लाह दी कि हम आने मुल्क के अंदर नहीं आने देंगे उस वक्त जो उन्होंने कहा और चाईना के बारे में, टोटेलिटेरियनिज्म के बारे में उनको जो उस वक्त डिस्-इल्यूजनमेंट हुई, वह बहुत भाइयों को याद होगा। उस वक्त पहले पंडित जी को भी ख्याल नहीं था कि चाईना गवर्नमेंट एक टैरीटरी के बारे में अपने पड़ोसी हिन्दुस्तान के साथ इस तरह कर सकती है, जो जैसे दूसरे ईमानदार लोग समझते थे, वैसे ही वह भी ईमानदारी के साथ समझते थे कि सारी दुनियां भाई चारा है और चाईना इस भाईचारे में सबसे आगे होगा। तो जब उस फकीर को चाईना की सरहद पर नहीं जाने दिया गया, उस वक्त जो उन्होंने ब्यान दिया, उसका एक फिकरा ही आपको

याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि चाईना, जो अपने आप को मनुष्य जाति की लीडरिप का दावा करता है, वह हिन्दुस्तार से बहुत कुछ सीख सकता है। ऐसे महापुरुष के चले जाने से हमें दुःख है। तो मैं लीडर आफ दी हाउस की फीलिंग्स के साथ एसोसिएट होता हुआ इन महापुरुषों को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ।

Mr. Speaker: Hon. Members, Shri Hira Lal Shastri, former Chief Minister, Rajasthan, died of heart attack on 28th December, 1974. He was a great nationalist and was in the vanguard of the Praja Mandal movement in the erstwhile Princely States. He was also closely associated with Banasthali Vidyapeeth, now a leading educational institution in the country. He was elected to the Constituent Assembly in 1947 and elected to the Lok Sabha in 1957. He was the first popular Chief Minister of Jaipur State and subsequently the first Chief Minister of Rajasthan. The country, in general and Northern India in particular has suffered a great loss.

Shri Shankar Deo, a great Sarvodaya Leader also passed away due to heart ailment on 30th December, 1974. He was an able leader, seasoned statesman and a great social reformer. He spent his life in the service of the people.

I fully associate myself with the deep feelings that have been expressed about the passing away of these great personalities and I shall no doubt convey the sympathies of this House to the bereaved families. Now I request you to observe one minute's silence while standing as a mark of respect to the deceased.

(At this stage the House stood in silence for a minute as a mark of respect to the memory of the deceased).

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move—

That rule 30 of the rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 2nd January, 1975.

Mr. Speaker: Motion moved—

That rule 30 of the rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government Business be transacted on Thursday, the 2nd January, 1975.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि सै इन पहले ही बहुत छोटा है और बहुत सारे इम्पौटेंट रैजोल्यू अनज के नोटिस आये हुए है और.....

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिदली बार इनको यह िाकायत थी कि नोटिस पूरा नही दिया जाता और भाार्ट नोटिस पर सैशन बुलाया जाता है। अबकी बार उनको 32/33 दिन का नोटिस दिया गया था फिर रैजोल्यू इन लेट क्यों आए। 18/20 दिन का नोटिस तो रैगुलर तौर पर दिया गया था और स्पीकर साहब,

आपको याद होगा कि पिछले सै न के दौरान बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आपके चैंबर में मैंने इनको कह दिया था कि पहली जनवरी से सै न होगा तो यह 32/33 दिन का नोटिस थां फिर भी अगर यह वक्त पर न भेजें तो हमारा क्या कसूर है ?

चौधरी राम लाल वधवा: इसमें आप यह देखें कि प्रोरोग होने का नोटिस कब आया। प्रोरोगे न के नोटिस के बाद ही भेज सकते थे और यह नोटिस 16 तारीख को पहुंचा है। मेरी अर्ज है कि इस नोन आफि टायल डे को आफि टायल करने की क्या जरूरत है, जबकि इतने इम्पोर्टेंट रैजोल्यू न्ज आए हुए हैं और.....

...

श्री अध्यक्ष: न तो कोई बिल ही है और न ही कोई रैजोल्यू न बैल्ट हुआ है इसलिये कोने नान आफि टायल बिजनैस ही नहीं है।

चौधरी राम लाल वधवा: मैंने पांच रैजोल्यू न्ज भेजे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: बैल्ट नहीं हुए हैं।

चौधरी राम लाल वधवा: मेने तो पावर इनको दी हुई है।

श्री अध्यक्ष: यह दो तारीख के लिये ड्यू नहीं था।
आपका रैजोल्यूशन नैक्सट वीक में आयेगा।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब यह सीट इस मेज के बहुत दूर
पड़ती है, तो जब आगे है तो थोड़ी नजदीक करवा दीजिए, काफी
दूर पड़ती है। जनाब, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाह रही थी....

..

श्री अध्यक्ष: बहन जी, आप अपनी पार्टी के लीडर से पूछ
ले।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब, यह तो दूर पड़ती है मेरे मेज
से इसलिये आपका ध्यान दिलाया है.....

Mr. Speaker: Order please.

Question is—

That rule 30 of the rules of Procedure and Conduct
of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended
and Government Business be transacted on Thursday, the 2nd
January, 1975.

The motion was carried.

सदन के मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र

**State Minister for Irrigation and Power (Sardar
Harmohinder Singh Chatta):** Sir,

I beg to lay on the Table the Housing Department notification No. GSR. 110/H.A. 20/71/S. 73/amd. (1)/74, dated the 6th September, 1974, regarding the Housing Board, Haryana (Conditions of Service of the Chairmen and Members) First Amendment Rules 1974, as required under Section 73(3) of the Haryana Housing Board Act, 1971.

I beg to lay on the Table the Housing Department notification No. GSR. 125/H.R. 20/71/S.73/74, dated the 11th October, 1974, regarding the Housing Board, Haryana (Borrowing of loans) First Amendment Rules 1974, as required under Section 73(3) of the Haryana Housing Board Act, 1971.

I beg to lay on the Table the Transport Department notification No. GSR. 144/C.A. 4/39/S. 21/amd. (4)/74, dated the 15th November, 1974, regarding the Punjab Motor Vehicles (Haryana Fourth Amendment) Rules 1974, as required under Section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

सदन के मेज पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatta): Sir,

I beg to lay on the Table a copy each the following notifications regarding the amendments in the Motor Vehicle Rules, 1940, as required under section 133(3) of the Vehicle Act, 1939:-

(i) No. GSR. 103/C.A.4/39/S. 41/amd. (2)/74, dated the 16th August, 1974

(ii) No. GSR. 111/C.A.4/39/S. 91/74, dated the 20th September, 1974

I beg to lay on the Table a copy of the Co-operation Department notification No. GSR. 131/P.A.25/61/S. 85/amd. (1) 74, dated the 31st October, 1974, regarding the Punjab Co-operative Societies (Haryana first Amendment) Rules 1974, as required under Section 85(3) of the Punjab Co-operative Societies Act, 1961.

I beg to lay on the Table a copy of the Genral Administration Department notification No. GSR. 142/Art. 320/amd. II/74, dated the 15th November, 1974, regarding the Amendments in the Haryana Public Service Commission (Limitaiton of Functions) Regulations, 1973, as required under article 320(5) of the Constitution of India.

Mr. Speaker: The House stands ajourned till 2.00 p.m. tomorrow.

15.35 बजे

(The Sabha then ajourned till 2.00 p.m. on Thursday, the 2nd January, 1975).